विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	लोक निर्माण
प्रश्न संख्या तारांकित	:	1106
उत्तर की तिथि	:	05–02–2019
विषय	:	सड़क निर्माण
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री पवन कुमार काजल (कांगड़ा)
सम्बन्धित मन्त्री	:	मुख्य मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
विधायक प्राथमिकता के अन्तर्गत नाबार्ड से स्वीकृत सड़कों के निर्माण में Forest Clearance के कारण हो रही देरी के समाधान हेतु सरकार क्या पग उठा रही है ?	सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 1106 जोकि श्री पवन कुमार काजल (कांगड़ा) द्वारा पूछा गया है, से सम्बन्धित उत्तरः–

नाबार्ड के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कें जिनका कार्य वन संरक्षण अधिनियम की स्वीकृति न होने के कारण रूका पड़ा है की शीघ्र स्वीकृति प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित पग उठाए जा रहे हैंः–

(1) दिनांक 18–1–2019 को माननीय मुख्यमन्त्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई तथा सम्बन्धित अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि सड़कों और भवनों के निर्माण के लिए वन भूमि के प्रस्तावों को तैयार करने और अनुमोदन के लिए समय निर्धारित किया जाए, ताकि सक्षम अधिकारी की मंजूरी समय से मिल सके और वन भूमि मंजूरी मामलो को निपटाने में हो रही देरी के कारण कार्य की प्रगति में बाधा नहीं हो। सरकार द्वारा निर्देशों का पालन करने के लिए सम्बन्धित ज़िलाधीशों, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग व वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी कर आगामी कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया गया है।

(2) वन सरंक्षण अधिनियम मामलों की वन विभाग द्वारा सभी विभागों के साथ प्रतिमाह समीक्षा की जाती है, ताकि जो वन मामले ऑनलाइन जमा किये गये हैं, उनमें यदि कोई त्रुटियां हो तो उन्हें शीघ्राति शीघ्र दूर किया जाए और सम्बन्धित कार्यों की वन संरक्षण आधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

(3) सरकार द्वारा जिला स्तर जिलाधीश की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है जो वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले भूमि हस्तान्तरण के मामलों की निगरनी करती है ताकि यदि वन संरक्षण अधिनियम में कोई त्रुटियाँ हो तो उनको शीघ्राति शीघ्र दूर करके केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

(4) लोक निर्माण विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के मामले बनाने के लिए ऑउटसोर्सिंग का भी प्रावधान कर रखा है ताकि समय पर विभिन्न सड़क व भवन कार्यों के वन संरक्षण अधिनियम मामले बनाये जा सके और इन मामलों को ऑनलाइन स्वीकृति हेतु भेजा जा सके।

.....